निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 चैत्र 1937 (शo)

(सं0 पटना 464) पटना, वृहस्पतिवार, 9 अप्रील 2015

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

17 मार्च 2015

सं0 22 / नि0सि0(सम0)–02–14 / 2011 / 656—श्री श्रीकान्त सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल, नरहन को कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, रोसड़ा का एन0 आर0 27 दिनांक 18.08.11 के आलोक में दिनांक 01.06.2011 से बिना सूचना के स्वेच्छापूर्वक मुख्यालय (कार्यक्षेत्र) से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय अधिसूचना संख्या 1095 दिनांक 29.08.11 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1192 दिनांक 22.09.2011 द्वारा श्री श्रीकान्त सिंह, सहायक अभियंता (निलंबित) के विरूद्ध निम्न गठित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयीः–

''आप दिनांक 01.06.11 से मुख्यालय से बिना सूचना के स्वेच्छापूर्वक मुख्यालय से अनुपस्थित हैं। बाढ़ अवधि में बिना सूचना के मुख्यालय छोड़ना आपके कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता का परिचायक है जिसके लिए आप दोषी पाये गये हैं।''

संचालन पदाधिकारी को समर्पित बचाव बयान में श्री श्रीकान्त सिंह द्वारा निम्न तथ्य अंकित किये गये हैः–

1. कार्यपालक अभियंता, बाढ नियंत्रण प्रमंडल, रोसड़ा में प्रमंडल में दिनांक 08.07.11 को योगदान दिया गया और दिनांक 14.07.11 को प्रभार ग्रहण किया गया। जबकि मैं अपने कार्यक्षेत्र में मौजूद था।

2. 15 अगस्त, 2011 को अपना कार्यालय अवर प्रमंडल, नरहन में सभी कनीय अभियंताओं, कार्यालय स्टाफ, गृह रक्षा वाहिनी की उपस्थिति में झंडोत्तोलन किया और दिनांक 18.07.11 को कार्यपालक अभियंता ने बेतार संवाद द्वारा दिनांक 01.06.11 से अनुपस्थित होने की सूचना विभाग को दी गयी, जो गलत है।

3. 20 जून, 2011 एवं 20 जुलाई, 2011 का उपस्थिति विवरणी प्रमंडलीय कार्यालय में समर्पित कर चुका था जो मॉगने पर नहीं दिया गया।

4. गवाही के तौर पर निम्नलिखित कनीय अभियंता से जानकारी ली जा सकती है –

(i) तनवीर आलम

(ii) विक्रांत कुमार

(iii)कौशिक कुमार गुप्ता

(iv)दशरथ दास

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में निष्कर्षतः अंकित किया गया है कि श्री श्रीकान्त सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता (निलंबित) द्वारा जून, 2011 एवं अगस्त, 2011 की अनुपस्थिति विवरणी अवर प्रमंडलीय कार्यालय से निर्गत होने का साक्ष्य मिलता है परन्तु प्रमंडलीय कार्यालय में प्राप्त होने का कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

माह जुलाई, 2011 का अनुपस्थिति विवरणी अवर प्रमंडलीय कार्यालय से निर्गत होने का कोई प्रमाण नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि श्री सिंह उक्त माह में उपस्थित नहीं थे। अनेकों अवसर प्रदान करने के बावजूद वे बयान में आलोच्य अवधि में मुख्यालय में उपस्थिति का समुचित साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा सके। अतः उनके उपर स्वेच्छापूर्वक मुख्यालय से अनुपस्थित होने का आरोप सही प्रतीत होता है।

संचलन पदाधिकारी ने जॉच प्रतिवेदन में आरोप को सही माना है। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में श्री श्रीकान्त सिंह के वेतन विवरणी से स्पष्ट है कि श्री सिंह सितम्बर, 2009 से बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, रोसड़ा में पदस्थापित रहे हैं। कार्यापालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, रोसड़ा के पत्रों से स्पष्ट है कि श्री सिंह बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, रोसड़ा में पदस्थापन अवधि से ही बीच–बीच में कई बार स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहे हैं एवं इनके अनुपस्थित रहने के कारण सरकारी कार्य बाधित हुआ है तथा अभिलेखों का संधारण भी इनके पदस्थापन अवधि में नहीं हो सका है। जिसकी सूचना कार्यपालक अभियंता द्वारा अधीक्षण अभियंता को कई बार दी गयी, परन्तु उच्च पदाधिकारी द्वारा आरोपों के तहत कोई कार्रवाई नहीं की गयी। अंततः कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बेतार संवाद के माध्यम से श्री श्रीकान्त सिंह के अनुपस्थिति की सूचना विभाग को दी गयी तत्पश्चात विभाग द्वारा श्री सिंह को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने अपत्रांक 880 दिनांक 12.11.2014 के माध्यम से श्री सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता के क्रिया–कलाप तथा गतिविधि का उल्लेख करते हुए संचालन पदाधिकारी को सूचित किया गया है कि श्री सिंह को अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता का संरक्षण प्राप्त था एवं श्री सिंह जून, 2011 में अनुपस्थित रहे हैं। वेतन विवरणी से स्पष्ट होता है कि श्री सिंह को माह मई, 2011 तक वेतन भुगतान हुआ है।

पत्रों की निर्णत पंजी के अनुसार माह जून, 2011 एवं अगस्त, 2011 का अनुपस्थिति विवरणी अवर प्रमंडलीय कार्यालय से निर्गत किया गया है परन्तु आरोपित द्वारा प्रमंडलीय कार्यालय में प्राप्त होने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा माह जुलाई, 2011 का अनुपस्थिति विवरणी अवर प्रमण्डल से निर्गत होने का कोई साक्ष्य नहीं है जबकि कार्यपालक अभियंता के पत्रांक 1080 दिनांक 12.12.12 में उल्लेख है कि माह जून एवं जुलाई, 2011 का अनुपस्थिति विवरणी प्रमंडल कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री सिंह द्वारा अपने बचाव बयान के साथ ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे परिलक्षित हो सके कि वे उक्त अवधि में कार्यालय अथवा कार्यक्षेत्र में उपस्थित रहे हैं। यहॉ तक कि मुख्यालय छोड़ने तथा किसी प्रकार के अवकाश से संदर्भित कोई पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्य के आधार पर माना जा सकता है कि बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, रोसड़ा में पदस्थापन अवधि में श्री सिंह एक भगोड़े प्रवृत्ति के गैर जवाबदेह पदाधिकारी रहे हैं तथा इनका क्रिया–कलाप आपराधिक प्रवृत्ति का रहा है तथा बिना सूचना मनमाने ढंग से अनाधिकृत रूप से मुख्यालय एवं कार्यक्षेत्र से अनुपस्थित रहे हैं जो इनके कर्त्तव्यों के निर्वहन के प्रति लापरवाही तथा उदासीनता दर्शाता है।

इस प्रकार समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री श्रीकान्त सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध दिनांक 01.06.11 से 18.08.11 तक बाढ़ अवधि में बिना सूचना दिए एवं बिना पूर्वानुमति के मुख्यालय एवं कार्यक्षेत्र से अनुपस्थित रहने तथा अपने कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता तथा लापरवाही बरतने का आरोप प्रमाणित होता है।

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री श्रीकान्त सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल, नरहन सम्प्रति निलंबित को निलंबन से मुक्त करते हुए निम्न दंड संसूचित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है:–

(i) अनाधिकृत रूप में दिनांक 01.06.2011 से 18.08.2011 तक का वेतन देय नहीं होगा परन्तु उक्त अवधि कर्त्तव्य पर मानी जायेगी।

(ii) निलंबन अवधि में देय वेतन भत्ता के अतिरिक्त कोई राशि देय नहीं होगा परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी।

(iii)निन्दन वर्ष 2011–12.

सरकर के निर्णय के आलोक में श्री श्रीकान्त सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल, नरहन को निलंबन से मुक्त करते हुए उक्त दंड संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 464-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in